रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243303 CG-DL-E-31012023-243303

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944 No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2023

फा. सं. पी-44020/3/2021-डीबीए-II.—केन्द्र सरकार 'केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी स्कीम, 2007' शीर्षक वाली भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 18.06.2014 से अनुमत सब्सिडी की सीमा के खंड-5 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"5. अनुमत सब्सिडी की सीमा."

नई इकाइयों के लिए: पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी स्थित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से अधिकतम 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए अनुसूचित बैंकों या केंद्रीय राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनको दी गई कार्यशील पूंजी पर 3% की सीमा तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों के लिए: पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाई के मामले में ब्याज सब्सिडी की लागू मात्रा, पर्याप्त विस्तार के बाद वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से ठीक पहले दो वित्तीय वर्षों के दौरान औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त कार्यशील पूंजी ऋण के औसत के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण में वृद्धि की 3% होगी।

668 GI/2023 (1)

तथापि, एसएलसी द्वारा पहले ही विचार/सिफारिश की जा चुकी इसी प्रकार के ब्याज सब्सिडी दावों को उन्हें पुन: खोलने की आवश्यकता नहीं है।

संदेहों को दूर करने/स्पष्टता के लिए, दिनांक 18.06.2014 के पत्र/परिपत्र में संलग्न/प्रतिपादित गणना की पद्धति लागृ होगी।

राजेंद्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2023

- **F. No. P-44020/3/2021-DBA-II.**—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July 2007 titled 'Central Interest Subsidy Scheme, 2007' respectively.
- 2. W.e.f. 18.06.2014, clause 5 of the extent of admissible subsidy shall be read as under:
- "5. The extent of admissible subsidy."

For new units: all eligible industrial units located anywhere in the North East Region shall be given an interest subsidy to the extent of 3 % on the working capital advanced to them by the Scheduled Banks or Central State financial institutions for a maximum period of 10(ten) years from the date of commencement of commercial production.

For existing units undergoing substantial expansion: the quantum of interest subsidy eligible in the case of an existing industrial unit which has gone for substantial expansion will be 3% of the increase in working capital loan over and above the average of the working capital loan availed by the industrial unit during two financial years just preceding the date of commencement of commercial operation after undergoing substantial expansion".

However, similar interest subsidy claims that have already been considered/recommended by the SLC need not be reopened.

For the removal of doubts/for the sake of clarity, the methodology for calculation as appended/enunciated in the letter/circular dated 18.06.2014 shall prevail.

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.